

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेशः

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/45002/एसबीसिया/गोपालसिंह/20280/2019 दिनांक: 24.12.2019 द्वारा श्री लालाराम भीणा, प्रधानाचार्य, (ए.पी.ओ कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर) को माननीय न्यायालय निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अम्बासा, फलासिया जिला उदयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था जिसके विरुद्ध श्री लालाराम भीणा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2229/2020 श्री लालाराम भीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक: 02.03.2020 द्वारा याचिकार्थी को जयपुर जिले में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किये जाने के निर्देशों के अनुसरण में याचिकार्थी श्री लालाराम भीणा, प्रधानाचार्य का पदस्थापन स्थान संशोधित किया जाकर इन्हें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्द्रगढ़, जमवारामगढ़ जिला, जयपुर (नवक्रमोन्नत) में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदस्थापन पूर्णतया एस.बी.सिविल याचिका संख्या 21502/2019 अलका गर्ग बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्याधीन रहेगा।


(सौरम स्वामी)


अई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/लालाराम/2229/591/2020 दिनांक: 06/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री लालाराम भीणा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)